पंजीकृत ए.डी.डाक से

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

ई-मेल.complaint.dhs@gmail.com
0755-2527137

क्रमांक/4/शिकायत/अना.अनु/फा.618/ भोपाल, दिनांक /12/2020,

प्रति,

डॉ0 बृजेश कुमार सिंह,
चिकित्सा अधिकारी,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौढिया जिला सीधी(म.प्र.)

द्वारा :–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–सीधी (म.प्र.)

विषयः–कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित–विभागीय जांच ।

–00–

आपको सूचित किया जाता हैं कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के नियम 14 (3) अन्तर्गत आपके विरूद्ध संलग्न आरोप–पत्र में अंकित कदाचरण के लिए विभागीय जांच संस्थित की जाती है। आरोप–पत्र में अंकित आरोप जिस पर अभिकथन आधारित है, उनका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिया गया है। आरोप–पत्र एवं अभिकथन पत्र के अभिलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची जिनके आधार पर आरोप प्रस्तावित है,वह भी संलग्न हैं।

2. आपसे इस पत्र के द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि आप यह पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस की अवधि में अपना प्रतिवाद उत्तर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजते हुये बतावे कि :–

(अ) क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हे ?

(ब) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किसी गवाह आदि का नाम देना चाहते है तो उन गवाहों की सूची पूर्ण पते सहित भेजें।

(स) यदि आप अपने बचाव पक्ष में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते है तो उन अभिलेखों की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

(द) यदि आप आरोप–पत्र आदि के साथ संलग्न अभिलेखों का अथवा उससे संबंधित किसी अन्य दस्तावेज का अवलोकन करना चाहाते है तो उन अभिलेखो की सूची विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।

4. आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि यदि आपके बचाव पक्ष का लिखित प्रतिवाद उत्तर नियत समयावधि अर्थात 15 दिवस के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–गुना म.प्र. के माध्यम से प्राप्त नहीं होता तो आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया जावेगा।

4. इस पत्र के प्राप्त होने की अभिस्वीकृती अविलंब भेजने की व्यवस्था करें।

संलग्नः–**1.आरोप–पत्र, 2.अभिकथन–पत्र, 3.अभिलेखो की सूची।**

(सपना एम0 लोवंशी)
अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

.........2

पृ.क्रमांक/4/शिकायत/अना.अनु/फा.618/165 भोपाल, दिनांक 25/12/2020

<u>प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–</u>

(1) प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,लोक स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग,मंत्रालय, भोपाल म.प्र.।
(2) क्षैत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवाए रीवा, संभाग, रीवा म.प्र.।
(3) कलेक्टर,जिला सीधी म.प्र.।
(4) उप संचालक (विज्ञप्त) स्थानीय कार्यालय।
(5) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रीवा की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस को संबंधित चिकित्सक को सर्व कराते हुए पावती संचालनालय को भेजें तथा इसकी छायाप्रति संबंधित चिकित्सक की पदस्थापना स्थल पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर पालन **<u>प्रतिवेदन 15 दिवस के अंदर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जाने पर आपकी जिम्मेदारी होगी।</u>**
(6) प्रभारी एम.आई.एस.सेल, स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय बबेसाईट पर अपलोड करावें।
(7) आदेश नस्ति।

(सपना एम0 लोवंशी)
अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

आरोप–पत्र

डॉ0 बृजेश कुमार सिंह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौढिया, जिला सीधी के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किया जाता हैं :–

आरोप कमांक –1

यह कि आपको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी का पत्र कमांक/स्था. /2020/8511, दिनांक 15.10.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि आप अपने कार्य स्थल से दिनांक 14.04.2012 से आज दिनांक तक बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 उप नियम (1) (पद्धए;पपद्धए;पपप) तथा सहपठित नियम, 7 के अनुरूप न होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(सपना एम0 लोवंशी)
अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

अभिकथन–पत्र

डॉ0 बृजेश कुमार सिंह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौढिया, जिला सीधी के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत निम्न आरोप अधिरोपित किए जाते हैं :–

आरोप कमांक, 1 के लिये :–

यह कि आपको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी का पत्र कमांक/स्था./2020/8511, दिनांक 15.10.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि आप अपने कार्य स्थल से दिनांक 14.04.2012 से आज दिनांक तक बिना आवेदन दिये व अवकाश स्वीकृति कराये अपने कर्तव्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है।

आपकी पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोढिया, जिला सीधी में आम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए की गई हैं। आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप अपने कर्तव्यस्थल पर नियमित एवं समय पर उपस्थित होकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक करें। किंतु आप कर्तव्यस्थल से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति अथवा स्वीकृति प्राप्त किये लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। आपका यह कृत्य शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के अनुरूप नहीं है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, 3 उप नियम (1) (पद्धए;पपद्धए;पपप) तथा सहपठित नियम, 7 के अनुरूप न होकर कर्तव्य हीनता की श्रेणी में आता हैं। इस प्रकार आपने उक्त नियमों का पालन न कर, अपने कार्य के प्रति कर्तव्यपरायण न रहते हुए अपने आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है।

(सपना एम0 लोवंशी)
अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

: अभिलेखों की सूची ::

डॉ0 बृजेश कुमार सिंह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौढिया, जिला सीधी के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (3) के अंतर्गत अधिरोपित आरोप के संबंध में अभिलेखों की सूची :—

1— कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी का पत्र कमांक/स्था./2020/8511 दिनांक 15.10.2020,

(सपना एम0 लोवंशी)
अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

:: गवाहों की सूची ::

डॉ0 बृजेश कुमार सिंह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौढिया, जिला सीधी के विरूद्ध मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम,1966 के नियम 14(3) के अंतर्गत गवाहों की सूची :—

1— ब्लाक मेडिकल, आफिसर, मझौली, जिला सीधी म.प्र.।

(सपना एम0 लोवंशी)
अपर संचालक(शिकायत)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश